न्यायालय उपखंड अधिकारी, राजगढ़ जिला चूरू

बइजलास इन्द्राज सिंह (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 479 सन् 2018

निर्णय दिनांक - 26.12.2019

मूलाराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

- प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र सहीराम
2. निम्बो पत्नी दयानंद
3. मनीराम पुत्र दयानंद

जाति मेघवाल निवासीगण थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिलानी जरिए शाखा प्रबंधक
5. तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्त. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 ता 3 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति

विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रभान वास्ते प्रार्थी

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र जांगिड़ वास्ते अप्रार्थी संख्या 1

पेशकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 5

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 3 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का इस न्यायालय में दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त उनवान का वाद न्यायालय हाजा में प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कृषि भूमि गत खसरा संख्या 426 तादादी 3.67 हैक्टेयर, खसरा संख्या 564 तादादी 1.77 हैक्टेयर, खसरा संख्या 654 तादादी 1.39 हैक्टेयर, कुल तादादी 6.83 हैक्टेयर रोही थिरपाली बडी तहसील राजगढ़ जिला चूरू प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 व हरिसिंह सांखला पुत्र प्रतापसिंह सांखला जाति खटीक की बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा खातेदारी की शामिल खाता की भूमि थी। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के परिवार की पुश्तैनी खातेदारी भूमि थी व उक्त हरिसिंह सांखला खरीददार था। उक्त कृषि भूमि का पक्षकारान प्रार्थना पत्र व उक्त हरिसिंह के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 12.02.2013 को खाता विभाजन हुआ जिस खाता विभाजन के अनुसार प्रार्थी के हक हिस्सा में उक्त कृषि भूमि में से हाल खसरा संख्या 1158/426 तादादी 1.68 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1161/564 तादादी 0.03 हैक्टेयर, कुल तादादी 1.71 हैक्टेयर रोही थिरपाली बडी, अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्सा में हाल खसरा संख्या 1159/426 तादादी 0.29 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1162/564 तादादी 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 654 तादादी 1.39 हैक्टेयर, कुल तादादी 1.71 हैक्टेयर रोही थिरपाली बडी व अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

संख्या 2 व 3 के हक हिस्सा में हाल खसरा संख्या 1160/426 तादादी 170 हैक्टेयर, थिरपाली बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू की भूमि रखी गई व उक्त भूमि में से शेष खसरा संख्या 564 मी. तादादी 171 हैक्टेयर उक्त भूमि उक्त हरिसिंह सांखला के हक हिस्सा में रखी गई थी। उक्त हरिसिंह सांखला के हक हिस्सा में रखी गई, उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं मगर वादी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के हक हिस्सा में रखी गई हाल खसरा संख्या की भूमि ही विवादित कृषि भूमि है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व उक्त हरिसिंह के मध्य उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में मौखिक पारिवारिक बंटवारा हुआ जिस पारिवारिक बंटवारा में पक्षकारान के हिस्से में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने की सहमति बनी थी। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के परिवार का समझदार व्यक्ति है जिस कारण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि के पक्षकारान के मध्य हुये मौखिक पारिवारिक बंटवारा के अनुसार खाता विभाजन से सम्बन्धित कागजात तैयार करवाने के लिये अधिकृत किया था तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने ही राजस्व कर्मचारियों से उक्त कृषि भूमि के विभाजन के प्रस्ताव तैयार करवाने तथा पक्षकारान के मध्य हुये मौखिक बंटवारा के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाना प्रार्थी को बताया था अप्रार्थी संख्या 1 वादी का सगा भाई है तथा प्रार्थी ने ही अपनी तरफ से मौखिक बंटवारा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 को अधिकृत किया था जिस कारण प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तैयार करवाने गये विभाजन प्रस्ताव पर बिना समझे ही अपने अंगूठे कर दिए जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन विवादित भूमि का हो गया जबकि प्रार्थी विभाजन से पूर्व की भांति अपने हक हिस्सा की भूमि को मौका पर काश्त करते आ रहा है। वादगत भूमि में से पिलानी राजगढ़ सड़क पूर्व से मौजूद है जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के कारण भूमि अवाप्ति की गई है। अवाप्ति में प्रार्थी की भूमि कम लिए जाने पर पटवारी से जानकारी प्राप्त करने पर पता लगा कि वादगत भूमि का सरकारी नक्शा के अनुसार मौका पर रकबा से मिलान नहीं होता है। खसरा संख्या 654 व 426 की तादादी सही नहीं दर्शाई गई है जिस कारण पूर्व में हुआ विभाजन में मौका पर विवादित भूमि के रकबे व राजस्व रिकार्ड में दिखाए रकबा में काफी अंतर है जिसे शुद्ध करवाया जाना आवश्यक है, ऐसे में उक्त विभाजन व उसके आधार पर दर्ज नामान्तकरण संख्या 371 व बना रिकार्ड आदि प्रार्थी के मुकाबले प्रभाव शून्य है व प्रार्थी रकबा के अनुसार भूमियों की पैमाईश करवाकर अपना हिस्सा 1/3, अप्रार्थी संख्या एक का 1/3 व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा घोषित करवाने व मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है। वर्तमान में भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के मन में लालच आ गया है और व राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से स्वयं के नाम स्वीकृत मुआवजा राशि आहरित करने व शेष भूमि पर जबरन कब्जा करवाकर प्रार्थी को उनके हिस्सा की भूमि व मुआवजा राशि, कब्जा काश्त से वंचित करने के लिए आमादा है व इस बाबत दिनांक 10.09.2018 को बमुकाम थिरपाली बड़ी में धमकी दी है जिस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त, अपूर्तीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है, आदि आदि व अप्रार्थीगण के विरूद्ध तापैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अंतरिम स्थगन दिनांक 20.09.2018 को जारी किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए व अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

वादगत कृषि भूमि किसी भी प्रकार विवादित नहीं है तथा उक्त भूमि का विभाजन मौका वास्तविक कब्जा के अनुसार दिनांक 12022013 को हुआ था व विधिक रूप से पैमाईश करवा किया गया था। वर्तमान में उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा की भूमि में टोल नाका निर्माण किया जाना है जिस कारण अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है व अधिक मुआव मंजूर हुआ है। प्रार्थी ने लालच के चलते गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादगत भूमि का मौ पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन होकर लगान आदि अलग कायम किया जा चुका है ऐसे प्रार्थी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा वादगत भूमि बेचान करने का कोई इरादा नहीं है। प्रार्थी से उसकी दिनांक 10092018 को कोई वार्तालाप हुई है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त, अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के में ना होकर अप्रार्थी संख्या एक के ही हक में है ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज जाने योग्य है।

दौराने विचारण अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम उपठित धारा 151 सी. पी. सी. प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हुआ उभय पक्ष द्वारा मूल प्रार्थना पत्र पर बहस किए जाने का निवेदन किए जाने में प्रार्थना पत्र अन्तर्ग आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. उभय पक्ष की सहमति से खारिज किया जा बहस मूल-प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लि गए अभिवचनों, दस्तावेजी साक्ष्य तथा तर्कों को सुनने के पश्चात्त प्रकरण के विचारणीय बिन्दुओं सम्बंध में मेरा निर्णय निम्न प्रकार है -

प्रथम दृष्टया मामला -

प्रकरण में अनुतोष प्राप्ति हेतु प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने का भार प्र पर है। प्रार्थी द्वारा वादगत भूमि पूर्व में सामूहिक होना दर्ज करते हुए दिनांक 12022013 विभाजन सहमति के आधार पर होना दर्ज किया है लेकिन विभाजन के नक्शा पर अपने अं अप्रार्थी संख्या एक को अधिकृत किया होने के आधार पर विश्वास के चलते बिना समझे करना लिखा है। प्रार्थी के अनुसार उक्त विभाजन मौका पर कब्जा काश्त व भूमि के रकबा के विपर गलत तरीके से तैयार किया गया है जिसमें प्रार्थी के हिस्से में दर्शाई गई भूमि मौका पर राज रिकार्ड में दर्ज रकबा से विपरीत है एवं पक्षकारान के पूर्व में हुए मौखिक पारिवारिक बंटवारा मिलत है। मौका पर उक्त भूमि का रकबा में रिकार्ड में दर्ज रकबा से काफी अंतर है ऐसे प्रार्थी उक्त अंकनों को शुद्ध करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त गलत विभाजन आधार पर बने राजस्व रिकार्ड के आधार पर गलत तरीके से स्वीकृत मुआवजा राशि आहरित कर शेष वादगत भूमि को अन्तरण करने पर आमादा है जिस कारण प्रार्थी के हक में दौराने क अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित्त है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जाहिर किया गया है कि उक्त भूमियों का पूर्व में खा विभाजन सहमति से किया जा चुका है जिसमें खातेदारान का हिस्सा बराबर बराबर रखा गया उक्त खाता विभाजन में कोई कानूनी खामी होना प्रार्थी ने नहीं बताया है। प्रार्थी द्वारा गलत तरी से मुआवजा राशि का आहरण रोका गया है जबकि स्वयं प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि आहरित की है। प्रार्थी द्वारा भूमि की पैमाईश करवाने व बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि प्र के पास उक्त कार्यवाही का अवसर रहा है। प्रार्थी द्वारा भूमि की अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौर भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है, ऐसे में प्रार्थी अब इस आधार पर कोई स्थगन प्राप्त क का अधिकारी नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण के समस्त हालात व उभय पक्ष के तर्कों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद मेरे विनम्र मत में वादग्रस्त भूमि का पूर्व में सहमति से विभाजन होना उभय पक्ष का स्वीकृत तथ्य है। प्रार्थी द्वारा उक्त विभाजन में गलत अंकन करवाए जाने की बाबत कोई धोखाधड़ी आदि की बाबत फौजदारी कार्यवाही नहीं की गई है एवं वादग्रस्त भूमि के विभाजन के दौरान रकबा भी बराबर बराबर रखा गया है ऐसे में मौका पर भूमि कम ज्यादा होने अथवा नक्शा में अंकन में भिन्नता होने पर प्रार्थी को शुद्धि, पैमाईश तथा बेदखली आदि कार्यवाही का अवसर प्राप्त रहा है तथा भूमि की अवाप्ति की प्रक्रिया के दौरान भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसे में प्रार्थी की उक्त आपत्ति इस स्तर पर निषेधाज्ञा प्राप्ति का आधार नहीं बन सकती है। वर्तमान में उक्त भूमियों का खाता विभाजित होकर अलग अलग खाते व लगान कायम किया जा चुका है ऐसे में वास्तविक खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार दखल अथवा कब्जा आदि करने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है जिस कारण प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण हाजा में अस्थाई निषेधाज्ञा की बाबत प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार नहीं पाया गया है। प्रार्थी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है अतः प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों के अवलोकन के पश्चात् मैं प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला बनना नहीं पाता हूं जिस कारण उक्त बिन्दु प्रार्थी के विपक्ष में व अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिय क्षति -

प्रकरण हाजा में चूंकि प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामला अपने पक्ष में साबित करने में असमर्थ रहा है जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला पूर्णतया साबित पाया गया है तथा वादग्रस्त भूमि विभाजित होकर अलग अलग खातेदारी में दर्ज है, ऐसे में प्रकरण हाजा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने से प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण को अधिक क्षति होने व असुविधा होना प्रमाणित है जबकि ऐसा न किए जाने से प्रार्थी को कोई हानि न होना इस स्तर पर प्रमाणित पाया गया है व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है जिस कारण प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं पाता हूं, लिहाजा उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के विपक्ष में व अप्रार्थीगण के पक्ष में तय किए जाते हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है व अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 20.09.2018 वेकेट (Vacate) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)